75 साल: भारत को आकार देने वाले कानून / नागरकिता अधनियिम, 1955

चर्चा में क्यों?

नागरकिता अधनियिम, 1955 संवधिान के लागू होने के बाद नागरकिता के पाने और समाप्त होने का प्रावधान करता है। मूल रूप से अधनियिम, 1955 ने राष्ट्रमंडल नागरकिता के लयि भी प्रावधान कयिा था। लेकनि इस प्रावधान को नागरकिता (संशोधन) अधनियिम, 2003 द्वारा नरिस्त कर दयिा गया था।

भारत में नागरकिता के संबंध में संवैधानकि प्रावधान क्या हैं?

- संवधिान का भाग II, अनुच्छेद 5-11, नागरकिता से संबंधति है। हालाँकि इसमें इस संबंध में न तो कोई स्थायी और न ही कोई वसि्तृत प्रावधान है।
- यह केवल उन व्यक्तयिों की पहचान करता है जो इसके प्रारंभ में (यानी 26 जनवरी, 1950 को) भारत के नागरकि बन गए थे।
- यह इसके प्रारंभ होने के पश्चात् नागरकिता पाने या समाप्त होने की समस्या से संबंधति नहीं है।
- यह संसद को ऐसे मामलों और नागरकिता से संबंधति कसिी भी अन्य मामले के लयि कानून बनाने का अधकिार देता है। तदनुसार संसद ने नागरकिता अधनियिम (वर्ष 1955) अधनियिमति कयिा है, जसिमें समय-समय पर संशोधन कयिा गया है।

नागरकिता को कैसे परभिाषति कयिा जाता है?

- नागरकिता व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को दर्शाती है।
- कसिी भी अन्य आधुनकि राज्य की तरह, भारत में भी दो तरह के लोग हैं- नागरकि और वदिेशी। नागरकि भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं और इसके प्रति निष्ठावान हैं। उन्हें सभी नागरकि और राजनीतकि अधकिार प्राप्त हैं।
- 'नागरकिता' बहष्किार का एक वचिार है क्योंकि इसमें गैर-नागरकिों को शामलि नहीं कयिा गया है।
- **नागरकिता प्रदान करने के दो प्रसद्धि सद्धिांत हैं:**
    - जहाँ ''jus soli' जन्म स्थान के आधार पर नागरकिता प्रदान करता है, वहीं 'jus sanguinis' रक्त संबंधों को मान्यता देता है।
    - मोतीलाल नेहरू समति (वर्ष 1928) के समय से ही भारतीय नेतृत्व 'jus soli' की प्रबुद्ध अवधारणा के पक्ष में था।
    - 'jus sanguinis' के नस्लीय वचिार को भी संवधिान सभा ने खारजि कर दयिा था क्योंकि यह भारतीय लोकाचार के खलिाफ था।

यह नागरकिता अधनियिम कैसे अस्तत्वि में आया?

- भारत में नागरकिता का अधकिार इसकी स्वतंत्रता के बाद ही शुरू हुआ। ब्रटिशि शासन ने ऐसा कोई अधकिार प्रदान नहीं कयिा, स्वतंत्रता पूर्व युग में ब्रटिशि नागरकिता और वर्ष 1914 का वदिेशी अधकिार अधनियिम था, जसिे वर्ष 1948 में नरिस्त कर दयिा गया था।
- ब्रटिशि राष्ट्रीयता अधनियिम के तहत भारतीयों को नागरकिता के बनिा अस्थायी रूप से ब्रटिशि वषियों के रूप में वर्गीकृत कयिा गया था।
- वर्ष 1947 में भारत के वभिाजन के परणिामस्वरूप भारत और पाकसि्तान को अलग करने वाली नई सीमाओं के पार बड़े पैमाने पर जनसंख्या की आवाजाही हुई।
- लोग अपनी पसंद के देश में रहने और उस देश की नागरकिता हासलि करने के लयि स्वतंत्र हुए।
- इस संदर्भ में संवधिान सभा ने इन प्रवासयिों की नागरकिता के नर्धिारण के तात्कालकि उद्देश्य को संबोधति करने के लयि संवधिान के नागरकिता प्रावधानों के दायरे को सीमति कर दयिा।
- बाद में वर्ष 1955 में संसद द्वारा अधनियिमति नागरकिता अधनियिम ने नागरकिता की आवश्यकताओं और पात्रता के लयि वशिष्टि प्रावधान कयि।

भारतीय नागरकिता का प्राप्त करने के मानदंड क्या हैं?

- वर्ष 1955 का नागरकिता अधनियिम नागरकिता प्राप्त करने के पाँच तरीकों को नर्धिारति करता है, जैसे जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र का समावेश।

जन्म से:

- 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई, 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है, भले ही उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो।
- 1 जुलाई, 1987 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक तभी माना जाता है, जब उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।
- इसके अलावा 3 दिसंबर, 2004 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वालों को भारत का नागरिक तभी माना जाता है, जब उनके माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हों या जिनके माता-पिता में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा बच्चे के जन्म के अवैध प्रवासी न हो।
- भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों के बच्चे और दुश्मन एलियंस जन्म से भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकते हैं।

पंजीकरण द्वारा:

- केंद्र सरकार, एक आवेदन पर, भारत के नागरिक के रूप में किसी भी व्यक्ति (अवैध प्रवासी नहीं होने पर) को पंजीकृत कर सकती है, यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित है:
  - भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो पंजीकरण के लिये आवेदन करने से पहले सात साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी है;
  - भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी भी देश या स्थान में सामान्य रूप से निवासी है;
  - एक व्यक्ति जो भारत के नागरिक से विवाहित है और पंजीकरण के लिये आवेदन करने से पहले सात साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी है;
  - व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे जो भारत के नागरिक हैं;
  - पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति जिसके माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं;
  - पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति, जो या उसके माता-पिता में से कोई भी स्वतंत्र भारत का एक पूर्व नागरिक था और पंजीकरण के लिये आवेदन करने से ठीक पहले बारह महीने से भारत में सामान्य रूप से निवासी है;
  - पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति जो पाँच साल के लिये भारत के कार्डधारक के एक विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत है, और जो पंजीकरण के लिये आवेदन करने से पहले बारह महीने के लिये भारत में सामान्य रूप से निवासी है।
  - एक व्यक्ति को भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह या उसके माता-पिता में से कोई एक अविभाजित भारत में या ऐसे अन्य क्षेत्र में पैदा हुआ था जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया।
  - भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने से पहले उपरोक्त सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को निष्ठा की शपथ लेनी होगी।

वंश द्वारा:

- 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद लेकिन 10 दिसंबर, 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश से भारत का नागरिक है, यदि उसके पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक थे।
- 10 दिसंबर, 1992 को या उसके बाद भारत से बाहर पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।
- अगर भारत के बाहर या 3 दिसंबर, 2004 के बाद पैदा हुए व्यक्ति को नागरिकता हासिल करनी है तो उसके माता-पिता को यह घोषित करना होगा कि नाबालिग के पास दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है और उसका जन्म एक साल के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत है। जन्म की।

प्राकृतिककरण द्वारा:

- एक व्यक्ति प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह 12 साल (आवेदन की तारीख से 12 महीने पहले और कुल मिलाकर 11 साल) के लिये भारत का निवासी है और नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची में सभी योग्यताओं को पूरा करता है।

प्रादेशिक निगमन द्वारा:

- यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत सरकार उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो उस क्षेत्र के लोगों में से भारत के नागरिक होंगे। ऐसे व्यक्ति अधिसूचित तिथि से भारत के नागरिक बन जाते हैं।
- अधिनियम दोहरी नागरिकता या दोहरी राष्ट्रीयता प्रदान नहीं करता है। यह केवल उपरोक्त प्रावधानों के तहत सूचीबद्ध व्यक्ति के लिये नागरिकता की अनुमति देता है: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्रीय निगमन द्वारा।
- इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में चार बार संशोधन किया गया है।
- इन संशोधनों के माध्यम से संसद ने जन्म के तथ्य के आधार पर नागरिकता के व्यापक और सार्वभौमिक सिद्धांतों को संकुचित कर दिया है।
- इसके अलावा 'विदेशी अधिनियम' व्यक्ति पर यह साबित करने का भार डालता है कि वह विदेशी नहीं है।

महत्त्वपूर्ण संशोधन

- **वर्ष 1986 का संशोधन:** संवैधानिक प्रावधान और मूल नागरिकता अधिनियम के विपरीत, जिसने भारत में पैदा हुए सभी लोगों को 'jus soli' के सिद्धांत पर नागरिकता प्रदान की, वर्ष 1986 का संशोधन कम समावेशी था क्योंकि इसके धरा 3 के तहत इस शर्त को जोड़ा गया था कि जो लोग भारत में पैदा हुए थे या 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए थे वही भारतीय नागरिक होंगे।
  - 1 जुलाई, 1987 के बाद और 4 दिसंबर, 2003 से पहले जन्म लेने वालों को भारत में अपने जन्म के अलावा नागरिकता तभी मिल सकती है जब जन्म के समय उनके माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो।

- **वर्ष 2003 का संशोधन:** बांग्लादेश से घुसपैठ को ध्यान में रखते हुए, संशोधन ने उपर्युक्त शर्त को और अधिक कठोर बना दिया।
  - अब कानून के तहत 4 दिसंबर, 2004 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों के लिये, अपने स्वयं के जन्म के तथ्य के अलावा, माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए या माता-पिता में से एक को भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए।
  - इन प्रतिबंधात्मक संशोधनों के साथ, भारत 'jus sanguinis' या रक्त संबंध के संकीर्ण सिद्धांत की ओर लगभग बढ़ गया है।
  - यह बताता है कि एक अवैध प्रवासी देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता का दावा नहीं कर सकता, भले ही वह सात साल से भारत का निवासी हो।
- **वर्ष 2015 का संशोधन:** नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 ने मूल अधिनियम में प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया है। इसने भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) कार्ड योजना और OCI कार्ड योजना को मिलाकर "ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक" नामक एक नई योजना शुरू की है।
- **वर्ष 2019 का संशोधन:** संशोधन में छह समुदायों के सदस्यों को अनुमति देने का प्रस्ताव है - पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, यदि वे 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश करते हैं तो वे भारत में रहना जारी रखेंगे।
  - यह नागरिकता की आवश्यकता को भी 11 वर्ष से घटाकर मात्र 5 वर्ष कर देता है।
  - दो अधिसूचनाओं ने इन प्रवासियों को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम से भी छूट दी।
  - असम में बड़ी संख्या में संगठनों ने इस विधेयक का विरोध किया क्योंकि यह बांग्लादेशी हिंदू अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान कर सकता है।
  - बिल का औचित्य यह है कि बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध अल्पसंख्यक हैं और धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिये भारत भाग आए हैं लेकिन बांग्लादेश में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और इसलिये उनके बारे में ऐसा प्रावधान नहीं है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

????????? ???????

प्र. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. केवल एक नागरिकता और एक निवास स्थान का प्रावधान है।
2. एक नागरिक जन्म से ही राज्य का मुखिया बन सकता है।
3. एक बार नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी को किसी भी परिस्थिति में इससे वंचित नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 3
(D) 2 और 3

उत्तर: (A)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/75-years-laws-that-shaped-india-the-citizenship-act-1955